

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर
प्रार्थी : श्रीमती खेमीबाई
विपक्षी : मोहनलाल
किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का. अधिनियम
पत्रावली संख्या : 348 / 12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 28.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की रिपोर्ट पर बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बताया कि मौके पर वादीयां द्वारा बंटवाडा करने से मना कर दिया है। अधिवक्ता वादीयां द्वारा भी इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः वादीयां प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

